

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 42 / 2022
दायर दिनांक : 13 / 05 / 2022
निर्णय दिनांक : 25 / 05 / 2022

उनवान

1. चूना पिता पेमा कालबेलिया निवासी रामाखेड़ा तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. मांगू पिता भोना अहीर निवासी रामाखेड़ा तहसील भूपालसागर
2. नाथू पिता भोना अहीर निवासी रामाखेड़ा तहसील भूपालसागर
3. भैरू पिता जोधा अहीर निवासी रामाखेड़ा तहसील भूपालसागर
4. माधूलाल पिता किशोर अहीर निवासी रामाखेड़ा तहसील भूपालसागर
5. चम्पाबाई पिता माधूलाल अहीर निवासी रामाखेड़ा तहसील भूपालसागर
6. बरजीबाई पत्नी किशोर अहीर निवासी रामाखेड़ा तहसील भूपालसागर
7. टोलू पिता हीरा गाडरी निवासी गाडरियावास रामाखेड़ा तहसील भूपालसागर
8. छगना पिता किशना गाडरी निवासी गाडरियावास रामाखेड़ा तहसील भूपालसागर
9. चेना पिता किशना गाडरी निवासी गाडरियावास रामाखेड़ा तहसील भूपालसागर
10. रामलाल पिता नगजीराम गाडरी निवासी गाडरियावास रामाखेड़ा तहसील भूपालसागर
11. किशना पिता गंगाराम अहीर निवासी रामाखेड़ा तहसील भूपालसागर
12. जेतीबाई पत्नी गंगाराम अहीर निवासी रामाखेड़ा तहसील भूपालसागर
13. देवीलाल पिता गंगाराम अहीर निवासी रामाखेड़ा तहसील भूपालसागर
14. नन्दलाल पिता गंगाराम अहीर निवासी रामाखेड़ा तहसील भूपालसागर
15. नानालाल पिता गंगाराम अहीर निवासी रामाखेड़ा तहसील भूपालसागर
16. शंकरलाल पिता हीरा अहीर निवासी रामाखेड़ा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित, बार-बार आवाजे लगाने पर भी उपस्थित नहीं आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थिया रेकार्ड खतेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल. आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा पटवार हल्का रामाखेड़ा तहसील भूपालसागर की आराजी संख्या 1718 रकबा 0.55 है., आ.सं. 817 रकबा 0.43 है., आ.सं. 818 रकबा 0.65 है., आ.सं. 819 रकबा 0.30 है. हैक्टेयर भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से क

निर्णय आज दिनांक 25.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया ।

(भावना सिंह)

सहायक कलेक्टर व

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौडगढ (राज.)

